

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 22(262) परि/प्रवर्तन/GPS/2015 /7492

जयपुर दिनांक:-18/4/16

कार्यालय आदेश संख्या 13./2016

विषय:- विभागीय उडनदस्तों के राजकीय वाहनों में स्थापित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम के संबंध में।

विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में गठित 155 उडनदस्तों के राजकीय वाहनों पर राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (REIL) के माध्यम से जी.पी.एस. आधारित व्हीकल ट्रेकिंग संयंत्र लगाये गये थे। इन संयंत्रों को लगाने का मुख्य उद्देश्य उडनदस्तों पर विभाग के पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाना था। इस व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के कार्य का दायित्व संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को दिया गया था तथा इस हेतु उन्हें दिनांक 28.04.2015 को login id एवं password भी जारी किये गये थे। मुख्यालय स्तर पर इस व्यवस्था का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। विभागीय उडनदस्तों के वाहनों में स्थापित जी.पी.एस. आधारित व्हीकल ट्रेकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं इसके सुचारु उपयोग हेतु निम्न आदेश प्रदान किये जाते हैं -

1. राज्य स्तर पर इस व्यवस्था के पर्यवेक्षण का कार्य अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में पूर्व में ही उन्हें इस हेतु login id एवं password उपलब्ध करवाया जा चुका है।
2. वर्तमान में प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को ही उनके एवं अधीनस्थ परिवहन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में कार्यरत उडनदस्तों के पर्यवेक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं परिवहन जिला स्तर पर उडनदस्तों पर प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने को दृष्टि से सभी परिवहन जिलों में पदस्थापित जिला परिवहन अधिकारियों को भी उनके अधीन कार्यरत उडनदस्तों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पृथक से login id एवं password जारी किये जा रहे हैं। login id एवं password की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों को पृथक से login id एवं password प्रेषित किये जा रहे हैं। इस login id के उपयोग से संबंधित जिला परिवहन अधिकारी भी उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत उडनदस्तों के वाहनों की लोकेशन, चैकिंग का स्थान, चैकिंग की समयावधि इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा उनके अधीन कार्यरत उडनदस्तों को जारी भ्रमण कार्यक्रम की अनुपानलना भी सुनिश्चित हो सकेगी।
3. किसी वाहन पर स्थापित उपकरण के सुचारु रूप से कार्य नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी REIL की ओर से अधिकृत व्यक्ति श्री पी. एन. शर्मा से दूरभाष क्रमांक 94140-70290 पर संपर्क कर उपकरणों में आ रही

समस्याओं का तत्काल निवारण करवायेंगे तथा इसकी सूचना अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को भी देंगे। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) द्वारा भी कोई समस्या प्रतीत होने की स्थिति में REIL की ओर से अधिकृत श्री पी.एन. शर्मा से संपर्क कर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जावेगा।

4. उड़नदस्तों के वाहनों में लगे VTS उपकरण को अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हटाया जायेगा अगर ऐसा करना अति आवश्यक हो तो, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि हटाये गये उपकरण का किसी अन्य राजकीय वाहन पर उपयोग यथाशीघ्र प्रारंभ किया जावे। इस हेतु हटाये गये उपकरण को किसी अन्य वाहन पर पुनः स्थापित करवाने का कार्य संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा REIL की ओर से अधिकृत व्यक्ति के साथ समन्वय स्थापित कर संपादित किया जावेगा।
5. किसी भी उड़नदस्ते को आवंटित वाहन किसी अन्य उड़नदस्ते को सामान्यतः आवंटित नहीं किया जावेगा। अगर ऐसा करना अति आवश्यक हो तो, संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन का संपूर्ण विवरण (पूर्व में आवंटित उड़नदस्ते की संख्या, नवीन उड़नदस्ते की संख्या, प्रभारी अधिकारी का नाम एवं उनके मोबाईल नम्बर) अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को उपलब्ध करवाया जावेगा ताकि मुख्यालय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग के किस वाहन पर कौनसा अधिकारी कार्यरत है।
6. प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) की शाखा में पदस्थापित सूचना सहायक द्वारा उक्त संशोधन पोर्टल पर किया जावेगा तथा इसकी सूचना अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.) को दी जायेगी। उक्त कार्य संपादित किये जाने में तकनीकी सहायता अपेक्षित होने की स्थिति में संबंधित सूचना सहायक द्वारा सिस्टम एनालिस्ट से संपर्क किया जावेगा।
7. यदि किसी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय को ऐसा राजकीय वाहन आवंटित होता है जिस पर VTS उपकरण स्थापित नहीं है तो उक्त वाहन एवं उसके प्रस्तावित उपयोगकर्ता उड़नदस्ता प्रभारी का विवरण अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जावेगा। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वाहन पर VTS उपकरण स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
8. चूँकि परिवहन आयुक्त कार्यालय, स्तर पर ही REIL द्वारा की जा रही सेवाओं का भुगतान किया जाता है। अतः भविष्य में अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) द्वारा ही REIL द्वारा प्रस्तुत बिलों का सत्यापन एवं भुगतान का कार्य सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु उन्हें REIL एवं विभाग के मध्य हुए करार की छायाप्रति अलग से उपलब्ध करवाई जा रही है।

५८

9. पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट्स का विश्लेषण अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) द्वारा किया जायेगा एवं इस संबंध में अपनी मासिक रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को उपलब्ध करवाई जायेगी।
10. संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा भी उडनदस्तों का नियमित पर्यवेक्षण किया जावेगा एवं इसकी मासिक सूचना परिशिष्ट - I पर संलग्न प्रपत्र में आगामी माह तक की 5 तारीख तक अपर परिवहन आयुक्त, प्रवर्तन को मय सॉफ्टकॉपी (Microsoft excel file) ई-मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

७८
(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 22(262) परि/प्रवर्तन/GPS/2015/7493-99 जयपुर दिनांक:-18/4/16
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री पी.एन.शर्मा, प्रबंधक, REIL
7. रक्षित पत्रावली।

18/4
अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.)

4/2/2006-1

Month :

GPS MONITORING FORMAT

[illegible]

Name :
Designation :
Signature :
(RTO/DTO)

④